भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 851
दिनांक 14 दिसम्बर, 2022 / 23 अग्रहायण, 1944 (शक) को उत्तर के लिए

पुलिस शिकायत प्राधिकरण

851 श्री एस. निरंजन रेड्डीः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार जिला और राज्य स्तर पर पुलिस से स्वतंत्र एक पुलिस शिकायत प्राधिकरण (पीसीए) गठित करने के लिए राज्यों के साथ काम करने पर विचार कर रही है;
(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ग) क्या पीसीए में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को शामिल करने के लिए कोई उपाय किए गए हैं;
(घ) क्या सरकार ने पीसीए द्वारा प्राप्त शिकायतों पर समय पर कार्रवाई और उनका निवारण सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और
(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)

(क) से (ड़): भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-।। (राज्य सूची) के तहत "पुलिस" राज्य का विषय है। पुलिस बलों को दक्ष और सक्षम बनाने तथा साथ ही उनकी कार्य प्रणाली को और अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से सरकारों/संघ क्षेत्र प्रशासनों की होती है। राज्यों के पुलिस बल, इस मामले में मौजूदा विधिक और संस्थागत ढांचे के भीतर कार्य करते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय ने 1996 की रिट याचिका (सिविल) 310 में प्रकाश सिंह और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में अपने निर्णय में जिला स्तर पर पुलिस उपाधीक्षक रैंक तक के पुलिस अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों की जांच करने के लिए और राज्य स्तर पर पुलिस अधीक्षक और उससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों की जांच करने के लिए पुलिस शिकायत प्राधिकरण को गठन करने का निर्देश दिया था। जिला स्तरीय प्राधिकरण की अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश द्वारा प्रस्तावित नामों के पैनल में से एक सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित उच्च न्यायालय के एक

राज्य सभा अतारांकित प्र. सं. 851, दिनांक 14.12.2022

न्यायाधीश द्वारा की जा सकती है और राज्य स्तर प्राधिकरण की अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश द्वारा प्रस्तावित नामों के पैनल में से राज्य सरकार द्वारा चुना जा सकता है। विभिन्न राज्यों/जिलों में शिकायतों की संख्या के आधार पर इन प्राधिकरणों को तीन से पांच सदस्यों द्वारा सहायता प्रदान की जा सकती है।

"पुलिस" राज्य का विषय होने के कारण, उपरोक्त निर्णय को इसके कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को अग्रेषित किया गया था। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा एवं नगर हवेली एवं दमन एवं दीव, दिल्ली, जम्मू एवं कश्मीर, लक्षद्वीप और पुडुचेरी ने पुलिस शिकायत प्राधिकरण का गठन किया है। बिहार ने प्रत्येक जिले के लिए जिला जवाबदेही प्राधिकरण का गठन किया है।

******